ग्राम पंचायत जामन की सैर विकास खण्ड पच्छाद ज़िला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0 प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत जामन की सैर विकास खण्ड पच्छाद ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया !

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:

प्रधान :-

नाम	अवधि
श्री बलदेव सिंह भण्डारी	23/01/2011 से लगातार

सचिव:-

नाम	अवधि
श्री विजयपाल	15/10/2013 से लगातार

(ख) गंभीर अनियमितताओं का सार :- ग्राम पंचायत जामन की सैर के लेखाओं अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र० सं०	पैरा नं	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	5	रोकड़ बही व बैंक शेषों में अन्तर	1.38
2	6	खाता "ख" में अर्जित ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न करना	0.18
3	7	गृहकर की शेष वसूली	0.05
4	8	अनुदानों की राशि का उपयोग न करना	10.68
5	9	ओपचारिक्तायें पूर्ण किये बिना स्टोर/स्टॉक का क्रय	-----
6	10	जे.सी.बी. चार्जीस का अनियमित भुगतान	1.45
7	11	स्टोर/स्टॉक सामग्री की प्रविष्टि न करना	3.58

8	12**(i)**	मनरेगा योजना में रोकड़ बही में दर्ज राशी से ऑन लाइन पेमेंट्स द्वारा अधिक भुगतान	21.55

भाग–II

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत जामन की सैर, विकास खण्ड, पच्छाद, ज़िला, सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 27/09/17, 03/10/17, 04/10/17, 06/10/17, 07/10/2017 व 09/10/17 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 02/2015, 06/2015, 03/2017 व 02/2015, 02/2016, 03/2017 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है ।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र० उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत जामन की सैर विकास खण्ड पच्छाद, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः जी.पी.(आडिट)/पच्छाद/2017-18-10 दिनांक 09/10/2017 **द्वारा** सचिव, ग्राम पंचायत जामन की सैर से अनुरोध किया गया ।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत जामन की सैर **द्वारा** प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः-

i) स्वः स्त्रोत :- ग्राम पंचायत जामन की सैर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अंतिम शेष**
2014-15	52434.94	72973.00	125407.94	29032.00	96375.94
2015-16	96375.94	50565.00	146940.94	61054.18	85886.76
2016-17	85886.76	47015.80	132902.56	57994.00	74908.56

ii) अनुदान:– ग्राम पंचायत जामन की सैर की अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 में अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, तथा जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 व 2** मे दिया गया है ।

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अंतिम शेष**
2014-15	598811.00	8672786.00	9271597.00	8729635.00	541962.00
2015-16	541962.00	7317874.00	7859836.00	7269492.00	590344.00
2016-17	590344.00	11286296.00	11876640.00	10808878.00	1067762.00

नोट :- (1) रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/14 के प्राम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का दिनांक 01/04/14 का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया है ।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना :–

(क) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य है। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है, जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही (वितीय स्थिति) तथा बैंक के शेषों में दिनांक 31/03/2017 को निम्नविवरणानुसार ₹137963 का अन्तर है जिसकी जाँच की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ।

स्व: स्त्रोत	74908.56
अनुदान	1067762.00
वितीय स्थिति के अनुसार 31.03.2017 को शेष	1142670.56
31.03.17 को कुल जमा शेष राशि(बैंक व हस्तगत शेष)	1280633.56
31.03.17 को वितीय स्थिति और बैंक शेष में अन्तर	**137963.00**

विभिन्न बैंकों में 31.03.2017 को जमा राशि का ब्यौरा

क्रमांक	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	जमा राशि
1.	HPSC Bank, Sarahan	56610104116	170597.80
2.	------do-------	56610113388	76881.76
3.	------do-------	56610107692	169582.00
4.	------do-------	56610113176	640466.00
5.	------do-------	56610112493	161450.00
6.	------do-------	56610104626	10948.00
7.	------do-------	56610104116	3601.00
8.	------do-------	56610113388	1839.00
9.	------do-------	56610107692	8964.00
10.	------do-------	56610113176	35099.00
11.	------do-------	56610105628	1087.00
		बैंक में जमा कुल राशि	**1280515.56**
		सामान्य निधि में **31.03.2017** को हस्तगत शेष	118.00
		31.03.2017 को कुल शेष राशि	**1280633.56**

परिशिष्ट-4

6 पंचायत के खाता "ख" में अर्जित ब्याज ₹0.18 लाख को खाता "क" हस्तांतरित न किया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज को पंचायत निधि स्व: संसाधनों के खाता "क" में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पंचायत के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" में अर्जित ब्याज की ₹17867 को खाता "क" में हस्तांतरित नहीं किया गया था । उपरोक्त वर्णित ब्याज की राशि का ब्यौरा निम्न तालिका अनुसार है;

अनुदान: विकास कार्य

माह	अर्जित ब्याज
09/2014	2144
03/2015	695
09/2015	5066
03/2016	4920
09/2016	2401
03/2017	2641
कुल ब्याज	**17867**

अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए खाता "ख" में अर्जित ब्याज की राशि को खाता "क" में हस्तांतरित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए ।

7 गृहकर के रूप में ₹4650 की वसूली शेष:-

ग्राम पंचायत जामन की सेर के सचिव **द्वारा** अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: जी.पी.ऑडिट/पच्छाद/जामन की सेर/2017 -18-2 दिनांक 27/09/2017 के सन्दर्भ में उनके पत्र क्रमांक: GPJKS-62/2017 दिनांक 09/10/2017 द्वारा गृहकर के बारे में जो सुचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31/03/2017 को गृहकर की ₹4650 निम्नतालिकानुसार वसूली हेतु शेष बताई गई ।

Year	Number of Families	Rate of house tax per year	Amount of house tax due	House tax realized during year	House tax outstanding at the close of year
2014-15	340	50	17000	31350	----------
2015-16	343	50	17150	18050	----------
2016-17	351	50	17550	12900	4650
House tax outstanding/recoverable as on 31.03.2017					**4650**

परिशिष्ट-5

क्योंकि पंचायत सचिव द्वारा ग्रहकर की वसूली से सम्बन्धित **"मांग एवं वसूली पंजी"** का संधारण नहीं किया जा रहा है ऐसे में गृह कर के सम्बन्ध में वास्तविक वसूली योग्य राशि उक्त राशि से कहीं अधिक होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता । अतः उपरोक्त अनुसार गृहकर की ₹4650 की वसूली शीघ्र अतिशीघ्र की जाए, तथा साथ ही पंचायत सचिव इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः जांच करते हुए वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन करके सम्बन्धित परिवारों से उसकी वसूली करके उसे पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित करे तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये । इसके अतिरिक्त भविष्य में मांग एवं वसूली पंजी का संधारण भी किया जाये ताकि पंचायत को देय सही राशि का तुरन्त बोध हो सके तथा पंचायत को आय की हानि न हो ।

8 अनुदानों की ₹10.68लाख का उपयोग न करना

पंचायत **द्वारा** उपलब्ध कारवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक अनुदानों से प्राप्त **₹10,67,762 (परिशिष्ट-1 व 2)** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत को विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान

व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत **द्वारा** अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित रहना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की उपरोक्त राशि के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का सम्बन्धित संस्था को प्रत्यार्पण किया जाये।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टोर/स्टॉक का क्रय :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधित है जिसके अनुसार ₹1000 से अधिक के व ₹50,000 से कम राशि के क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाना तथा ₹50,000 से अधिक राशि के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके । जबकि नियम 67 (3) (a) के अनुसार ग्राम पंचायत **द्वारा** प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नामित दो वार्ड मेम्बर्स तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति द्वारा निविदा/कोटेशन्स आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने का प्रावधान है । परन्तु ग्राम पंचायत ने बिना उप समिति का गठन किये और नियमानुसार कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही स्टोर/स्टॉक की सामग्री का क्रय किया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तीजनक है। अतः उक्त व्यय/क्रय को नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक व्यय/क्रय नियमानुसार तरीके से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त नियमों कि अवहेलना कर पंचायत द्वारा चयनित माह में क्रय की गई कुछ मदों का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है;

Name of Firm	Invoice No./ Date	Material purchased	Amount (₹)
	अनुदान: 14th FC		
SUNSHINE SOLAR	287/ 2.3.17	10 Solar Lights	150000
Aggarwal Industries.	15440/18.3.17	Samsung Tab	17000
Sanjay store Sarahan	4389/ 30.3.17	Sanitation fiting	20182

अनुदान : बी.आर.जी.ऍफ़.

Bhandari Goods Trspt.	501/ 15.02.17	रेत 400 ft.	16000
		रोड़ी 200 ft.	9000
	अनुदान : विकास कार्य		
Sanjay store Sarahan	4006/03/2017	Creatwire etc.	52661
	अनुदान: 13th FC		
Sanjay store Sarahan	4005/ 7.3.17	124boxtiles etc	34828
-----------do-----------	4387/ 30.3.17	1280 tiles etc.	58382

10 जे.सी.बी चार्जीस का ₹1.45 लाख का अनियमित भुगतान

ग्राम पंचायत जामन की सैर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न कार्यों हेतु जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर **₹145350** का भुगतान निविदाएं आमन्त्रित किये बिना ही किया गया है, जबकि पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 (5)(a)व(b) के अनुसार ₹1000 से अधिक की राशि के भुगतान/क्रय के लिये कोटेशन्स/निविदाएँ आमंत्रित की जानी अनिवार्य है। जबकि नियम 67(3) के अनुसार उक्त कार्यो हेतु कोटेशन्स/निविदाएँ आमंत्रित करने के लिए एक उप समिति का गठन किया जाना अनिवार्य था, जिनकी अनुपालना किये बिना ही पंचायत **द्वारा** जे.सी.बी को विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में लाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त जे.सी.बी **द्वारा** करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सम्बन्धित कनिष्ट अभियंता/तकनीकी सहायक **द्वारा** अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिनकी अनुपस्तिथि में जे.सी.बी चार्जिस का लाखों रूपये का भुगतान तर्कसंगत व उचित था नहीं कहा जा सकता । अतः सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा जे.सी.बी **द्वारा** करवाए गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया **जाए।**

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न ठेकदारों को जे.सी.बी चार्जिस का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौतियां नहीं की गई है जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदारों से निम्नवर्णित संवैधानिक कटौतियां की जानी वांच्छित थी ।

(क) आयकर 2%

(ख) सेल्स टैक्स 3%

(ग) प्रतिभूति राशि 10%

(घ) लेबर सेस 1%

अतः उपरोक्त कटोतियों को सम्बंधित बिल से न किये जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतियां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

जे.सी.बी चार्जिस का ₹145350 के अनियमित भुगतान का विवरण

क्रमांक	फर्म/ठेकेदार का नाम	बिल संख्या /दिनांक	कार्य के घंटे	दर प्रति घंटा ₹	कुल भुगतान ₹
		अनुदान :14th FC			
1.	विजय कुमार शर्मा	270/ 29.3.17	42	800/-	33600/-
		अनुदान: विकास कार्य			
2	जस पाल् सिंह्	656/ 03.2015	40	750/-	30000/-
3	------do--------	657/ 03.2015	54	750/-	40500/-
4	------do--------	658/ 03.2015	55	750/-	41250/-
		कुल अदायगी			**145350/-**

11 क्रय की गई स्टोर/स्टॉक की सामग्री की प्रविष्टि न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत **द्वारा** प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत जामन की सैर के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत **द्वारा** विभिन्न कार्यों हेतु क्रय की गई **₹358053** की विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की जा रही है जोकि नियमानुसार अपेक्षित थी । अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई कुछ मदें जिन्हें स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है ।

Name of Firm	Invoice No./ Date	Material purchased	Amount (₹)
	अनुदान: 14th FC		
SUNSHINE SOLAR	287/ 2.3.17	10 Solar Lights	150000
Aggarwal Industries.	15440/18.3.17	Samsung Tab	17000
Sanjay store Sarahan	4389/ 30.3.17	Sanitation fiting	20182
	अनुदान : बी.आर.जी.ऍफ़.		
Bhandari Goods Trspt.	501/ 15.02.17	रेत 400 ft. रोड़ी 200 ft.	16000 9000
	अनुदान : विकास कार्य		
Sanjay store Sarahan	4006/03/2017	Creatwire etc.	52661
	अनुदान: 13th FC		
Sanjay store Sarahan	4005/ 7.3.17	124boxtiles etc	34828
-----------do----------- -	4387/ 30.3.17	1280 tiles etc.	58382
		कुल	**358053**

अतः क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ।

12 **मनरेगा योजना के अंतर्गत खर्च राशि से सम्बन्धित अनियमितताएँ:-**

(i) रोकड़ बही में दर्ज राशि से वर्ष 2014-15 व 2015-16 के दौरान ₹21,55,393 का Online अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत **(Online Financial Statements)** के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों हेतु किये गए भुगतान की राशि बिल/वाउचर के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज की गई व्यय की राशि से वितीय वर्ष **2014-15** में **₹14,22,856** तथा वर्ष **2015-16** में **₹7,32,537** अधिक है। उक्त **Online** भुगतान की गई राशि तथा रोकड़ बही में दर्ज व्यय की राशि में जो उपरोक्त अन्तर है उस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा उक्त अधिक भुगतान की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर पंचायत निधि/सम्बन्धित कोष में जमा किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये । उक्त अधिक भुगतान का ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है;

वितीय वर्ष	**रोकड़ बही अनुसार ऑन लाइन किया गया भुगतान**	**फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स के अनुसार ऑन लाइन किया गया भुगतान**	**अधिक भुगतान (₹)**
1	2	3	4{3-2}
2014-15	6761312	8184168	1422856
2015-16	5323817	6056354	732537
		कुल भुगतान	**2155393**

(ii) इसके विपरीत वितीय वर्ष 2016-17 में रोकड़ बही के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च **₹82,49,642** दर्ज है जबकि उक्त अवधि में **Online Financial Statements** के अनुसार केवल **₹54,51,670** का ही भुगतान हुआ है जिससे प्रतीत होता है कि 31.03.2017 को **₹2797972** {8249642-5451670} की अदायगी होनी शेष थी । अतः रोकड़ दर्ज राशि व वास्तविक भुगतान में अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा वर्ष 2016-17 में मदवार जारी FTO को पूर्ण विवरण सहित आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत जाए ।

(iii) चयनित माह में मनरेगा योजना के अन्तर्गत रोकड़ बही अनुसार किये गए भुगतानों/खर्च का ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स के साथ मिलान करने पर पाया गया कि फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स के अनुसार किया गया भुगतान रोकड़ बही में दर्ज किए गए भुगतान से **₹1,33,426** {**परिशिष्ट-**6} कम हुआ है जोकि अनियमित

प्रतीत होता है। अतः रोकड़ बही में दर्ज भुगतान और **Online Payment** में जो अंतर है उस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अन्तर के कारणों का पता लगाकर उनका नियमानुसार समायोजन कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए ।

(iv) Goat Shed 8Nos 2nd तथा 9Nos 2nd के निर्माण कार्य में ₹12960 का अधिक भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य **Goat Shed 8Nos. 2nd** हेतु बिल संख्या **00420** दिनांक **27/04/2014 द्वारा** खरीदी गयी **₹6480** की निर्माण सामग्री का भुगतान **19.09.2014** को दो बार **(Double)** हो गया है इसी प्रकार निर्माण कार्य **Goat Shed 9Nos. 2nd** में भी बिल संख्या 3 दिनांक 12.08.2014 तथा 30.08.2014 **द्वारा** मु. ₹6480 का 12.09.2014 तथा 19.09.2014 को दो बार भुगतान हुआ है । अतः उक्त भुगतान बारे वस्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा उक्त अधिक व्यय/भुगतान की राशी को उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित खाते में जमा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए । उपरोक्त भुगतान का ब्यौरा निम्नानुसार है;

कार्य का नाम	बिल नं	दिनांक	भुगतान तिथि	राशी
c/o Got Shed 8, 2nd	**00420**	**27.04.14**	**19.09.2014**	**6480**
-------------do-----------	**0420**	**27.04.14**	**19.09.2014**	**6480**
c/o Got Shed 8, 2nd	**03**	**12.08.14**	**19.09.2014**	**6480**
-------------do-----------	**03**	**30.08.14**	**12.09.2014**	**6480**

(v) Goat Shed निर्माण हेतु उक्त कार्य के प्राक्कलन में दी गई मात्रा से अधिक मात्रा की खरीद कर ₹91627 का अधिक भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की मनरेगा योजना के अंतर्गत Goat Shed के निर्माण हेतु तकनीकी सहायक द्वारा 13.04.2016 को ₹60,000 का प्राक्कलन (Estimate) तैयार किया गया जिसके अनुसार फंडिंग एजेंसी द्वारा प्रति Goat Shed ₹60000 स्वीकृत की गई | उक्त प्राक्कलन के अनुसार Goat Shed के निर्माण हेतु **15 bags सीमेंट, 150 फुट रेत, 10 CGI Sheets तथा 90 Kg. 20x20x3mm Angle Iron की मात्रा** दी गयी थी, परन्तु निम्नतालिकानुसार Goat Shed के निर्माण हेतु प्राक्कलन में निर्दिष्ट मात्रा से काफी ज्यादा मात्रा खरीदकर ₹**91627** का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए, अन्यथा Estimate से अधिक मात्रा की खरीद पर खर्च की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूली कर सम्बन्धित कोष में जमा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त कार्यो **के स्वीकृति पत्र तथा प्राक्कलन (परिशिष्ट- 7) पर संलग्न** है।

Name of Beneficiary	Material	Quantity Purchased	Qty. as per Estimate	Excess Purchase	Rate (₹)	Excess Payment (₹)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 {5x6}**
Padam Swaroop,	Cement	18 bags	15 bags	3 bags	273/-	819/-

unner	Angles	3 quintals	90 Kg	210 kg	36/-	7560/-
	चादरें	14 Nos	10 Nos	4 Nos	500/-	2000/-
Hukam Singh,	Angles	2 quintals	90 Kg	110 kg	35/-	3850/-
Bharmur	चादरें	15 Nos	10 Nos	5 Nos	700/-	3500/-
Hans Raj, Bhet,	Angles	2 quintals	90 kg	110 kg	30/-	3300/-
	चादरें	15 Nos	10 Nos	5 Nos	700/-	3500/-
Naresh Dutt,	Angles	2 quintals	90 kg	110 kg	40/-	4400/-
Runaja	चादरें	15 Nos	10 Nos	5 Nos	600/-	3000/-
Hira Devi,	Angles	2 quintals	90 kg	110 kg	35/-	3850/-
Rajpura	चादरें	15 Nos	10 Nos	5 Nos	700/-	3500/-
Tarun Kumar,	Cement	18 bags	15 bags	3 bags	273/-	819/-
Bhet	Angles	150 kg	90 kg	60 kg	31/-	1860/-
	चादरें	20 Nos	10 Nos	10 Nos	600/-	6000/-
Narayan Dutt,	Cement	18 bags	15 bags	3 bags	273/-	819/-
Bhet	Angles	2 quintals	90 kg	110 kg	30/-	3300/-
	चादरें	15 Nos	10 Nos	5 Nos	700/-	3500/-
Pritam Singh,	Angles	3 quintals	90 kg	210 kg	35/-	7350/-
Rajyon	चादरें	10 Nos	10 Nos	---------	700/-	---------
Bhagat Ram,	Angles	2 quintals	90 kg	110 kg	38/-	4180/-
Bhet	चादरें	15 Nos	10 Nos	5 Nos	600/-	3000/-
Ishwar Dutt,	Angles	2 quintals	90 kg	110 kg	30/-	3300/-
Bharmur	चादरें	20 Nos	10 Nos	10 Nos	500/-	5000/-
Virender	Angles	2 quintals	90 kg	110 kg	32/-	3520/-
Kumar, JKS	चादरें	15 Nos	10 Nos	5 Nos	700/-	3500/-
Ram Krishan,	Angles	190 kg	90 kg	100 kg	32/-	3200/-
Bharmur	चादरें	15 Nos	10 Nos	5 Nos	600/-	3000/-
				Total Excess Payment		**91627/-**

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त व्यक्तिगत कार्यों पर सामग्री की खरीद हेतु 40% से अधिक का भुगतान किया गया प्रतीत होता है जोकि नियमों की अवहेलना है अतः 40% से अधिक की सामग्री भुगतान की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि 60:40 का मजदूरी व सामग्री का अनुरूप रखा जा सके तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

13 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 मे पंचायत के आय

व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

14 सावधि जमा में राशि का निवेश न करना

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग अगले 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को पंचायत में इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश कर पंचायत के लिए ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन किया जा सकता है । अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गये निर्देशों की अनुपालना करते हुए अधिशेष (Surplus Funds) राशि को सुनियोजित तरीके से निवेश कर ग्राम पंचायत निधि के लिए ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

15 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही तरीके से रख-रखाव न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अधिकतर अपेक्षित अभिलेख जैसे कार्य का प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण-पत्र इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके अभाव में निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय की माप पुस्तिकाओं के अनुसार पुर्णतः जाँच नहीं की जा सकी । अतः उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा साथ ही उन्हें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाए जा रहे लाखों रूपये के निर्माण कार्यों की पूर्ण जाँच सम्भव/सुनिश्चित हो सके ।

16 रसीद बुकों के उपयोग से सम्बन्धित अनियमितता बारे:-

(i) आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (4) व (5) के अनुसार पंचायत सचिव तथा प्रधान द्वारा रसीद बुकों पर गणना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था तथा अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई गई, उन पर की गई कटटिंग्स तथा रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी नहीं किया जा रहा है। अतः

नियमानुसार अभिलेख का रख रखाव न करने बारे स्थिथि स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में अभिलेख का रख रखाव नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

17 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रखरखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

क्रमांक	रजिस्टर व अभिलेख का नाम
1.	इन्वेंटरी रजिस्टर ।
2.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर ।
3.	रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी ।
4.	आकस्मिक व्यय रजिस्टर ।
5.	अग्रिमों का रजिस्टर।
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर।
7.	प्रिंटिंग एंव स्टेशनरी रजिस्टर।
8.	प्राक्कलन, तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर ।

18 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्तिथि स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

19 लघु आपत्ति विवरणिका

i) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया जा रहा है जबकि पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्तः हस्ताक्षरित न किया गया हो । अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

ii) पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा द्वारा उस व्यय को पारित किये जाने से सम्बंधित प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित किया जाना अनिवार्य है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये जा रहे किसी भी बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम का पालन किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

20 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(x)11/2017 खण्ड–1–1052–1055 दिनांक 15.02.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत जामन की सेर, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881